निर्वाचन / तत्काल

कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट / रिट0ऑफिसर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 56–गाजियाबाद

प0सं0 1245 / एस0टी0–सी0एम0 / गाजि0 / 2022 दिनांकः 10 जनवरी, 2022

समस्त बी0एल0ओ0 / सुपरवाईजर,
विधान सभा क्षेत्र,
56–गाजियाबाद।

विषयः–वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के वितरण एवं वितरण के पश्चात प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

आप अवगत है कि आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द ही विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 की अधिसूचना जारी कर दी जायेगी जिसमें वरिष्ठ नागरिकों(80 वर्ष से अधिक आयु), निर्वाचन नामावली में इंगित दिव्यांगजों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से वोटिंग प्रकिया सम्पन्न कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा0 निर्वाचन आयोग के द्वारा अपने पत्र संख्याः–52 / 2021 / एस0डी0आर0 / खण्ड–1 दिनांक 02.02.2021 के प्रस्तर–2 में डाक मतपत्र की सुविधा की अपेक्षा वाला ऐसा आवेदन सम्बन्धित निर्वाचन की **अधिसूचना की तारीख के बाद पाँच दिनों के भीतर** आर0ओ0 तक पहुँचाये जाने की व्यवस्था दी गयी है तथा **प्रस्तर 3.1 में बी0एल0ओ0 द्वारा प्रारूप 12घ के वितरण के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गयी हैः–**

3.1– क– बी0एल0ओ0, मतदान केन्द्र क्षेत्र में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिये गये ब्यौरे के अनुसार, ए0वी0एस0सी0, ए0वी0पी0डी0 एवं ए0वी0सी0ओ0 की क्षेणी के अनुपस्थित मतदाताओं के घर जाएंगे और सम्बन्धित निर्वाचकों को प्रपत्र 12घ देंगे और उनसे पावती प्राप्त करेंगें।

ख– बी0एल0ओ0, निर्वाचकों से प्राप्त सभी पावतियों को रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करेंगें।

ग– यदि कोई निर्वाचक उपलब्ध नहीं है, तो वहां बी0एल0ओ0 अपना संपर्क विवरण देगा तथा अधिसूचना से पॉच दिनों के भीतर पुनः जाकर पावतियॉ एकत्र करेगा।

घ– निर्वाचक डाक मतपत्र के लिए अपना विकल्प देते हैं तो बी0एल0ओ0 अधिसूचना से पॉच दिनों के भीतर निर्वाचक के घर से 12घ में भरा गया प्रपत्र एकत्र करेगा और उसे रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करेगा।

ड़– सैक्टर ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन बी0एल0ओ0 द्वारा प्रपत्र 12घ के वितरण और संग्रहण की प्रकिया का पर्यवेक्षण करेगा।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र 56–गाजियाबाद हेतु प्रपत्र 12घ तहसील सदर गाजियाबाद में चिन्हित अनुपस्थित मतदाताओं की सूची तथा सूची में दर्शायें गये व्यक्तियों के फॉर्म 12घ बूथवार रखे गये है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन की अधिसूचना प्राप्त होते ही तहसील सदर गाजियाबाद से विधान सभा क्षेत्र 56–गाजियाबाद के ऐसे चिन्हित अनुपस्थित मतदाताओं की सूची तथा सूची में दर्शाये गये व्यक्तियों के फॉर्म 12घ बूथवार प्राप्त कर उपरोक्त निर्देशों के कम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को समय से पूर्व अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(गम्भीर सिंह)
नगर मजिस्ट्रेट / रिट0ऑफिसर
विधान सभा 56–गाजियाबाद

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय गाजियाबाद।

02– उप जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय गाजियाबाद।

03– समस्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधान सभा क्षेत्र 56–गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर मजिस्ट्रेट / रिट0ऑफिसर
विधान सभा 56–गाजियाबाद